रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3818] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/ आश्विन 5, 1940
No. 3818] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ASVINA 5, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

का आ.4996 (अ).— केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाए विभाग), की अधिसूचना संख्या का.आ. 831(अ) तारीख 15 मार्च, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

सारणी में, क्रम सं. 4 में स्तंभ सं. 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
4			"पश्चिमी बंगाल राज्य में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, उत्तर दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले तथा सिक्किम राज्य।"

[फा. सं. 1/6/2016 डी आरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खंड(ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 831(अ) तारीख मार्च 15, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2018

S.O. 4996(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Financial Services) number S.O. 831(E), dated the 15th March, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th March, 2017, namely

In the table, in serial No. 4, for the entry column (4), the following entry shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
4			"Darjeeling, Jalpaiguri, Coochbehar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda and Murshidabad districts in the State of West Bengal and the State of Sikkim."

[F.No. 1/6/2016-DRT)]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 831 (E) dated the 15th March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

का.आ.4997(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में 7 जनवरी, 1997 और 24 मार्च, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) के अधिसूचना सं. सा.का.नि.7(अ), तारीख, 7 जनवरी, 1997 और अधिसूचना सं. सा.का.नि.260(अ), तारीख, 24 मार्च, 2000 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित स्थान पर, उक्त सारणी की स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं .	वह स्थान जहां अधिकरण स्थापित किया गया है	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
01	दूसरा तल, अप्सरा बिल्डिंग, डॉ. बी बरुआ रोड, गुवाहाटी-781007	सिक्किम को छोड़कर असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्य

.2 राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व ऋण वसूली अधिकरण्, गुवाहाटी में दायर मामले ऋण वसूली अधिकरण, सिलीगुड़ी, जिसे सिक्किम राज्य के संबंध में अधिकारिता प्राप्त है, को अंतरित हो जाएंगे।

(फा.सं. 1/6/2016-डीआरटी)

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2018

S.O. 4997(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), and in supersession of notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) numbers G.S.R. 7 (E), dated the 7th January, 1997 and G.S.R. 260 (E), dated the 24th March, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th January, 1997 and 24th March, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby establishes the Debts Recovery Tribunal at the place mentioned in the column (2) of the table below to exercise jurisdiction within the areas specified in the corresponding entry in column (3) of the said table, namely:-

TABLE

S.No.	Place at which Tribunal is established	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
01	IInd floor, Apsara Building, Dr. B. Baruah Road, Guwahati-781007	Assam and other North Eastern States excluding Sikkim

2. Prior to the publication of this notification in the official Gazette, the cases filed in the Debts Recovery Tribunal, Guwahati, shall stand transferred to the Debts Recovery Tribunal, Siliguri, having jurisdiction over the State of Sikkim.

[F. No. 1/6/2016-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.09.29 15:44:11 +05'30'